माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुर्नविलोकन

ओमप्रकाश दत्तक पुत्र रामसिंह कलौता आयु 50 वर्ष व्यवसाय कृषि जाति कलोता निवासी ग्राम बिलावली तेहसील व जिला देवास ....आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री ....
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक ....
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. रामसिंह पिता काशीराम कलौता
2. कल्याणसिंह पिता रामरतन कलौता

निवासीगण ग्राम बिलावली तेहसील व जिला देवास ....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता सन् 1959 के अन्तर्गत पुर्नविलोकन (Review) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रंमाक 4136-III/2015 निगरानी मे प्रदत्त आदेश दिनांक 06-02-2016 के संबंध मे।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1520–पीबीआर/16 जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–9–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 4136–तीन/15 पारित आदेश दिनांक 06–2–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	